118

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सुपौल
जिला– सुपौल

महोदय,

नगर परिषद, सुपौल के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं 1776 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14565/114 दिनांक– 26/7/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सुपौल

(विश्वम्भर कुमार) 26/7/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 1776/15–16

भाग–1

1.	कार्यालय का नाम	नगर परिषद, सुपौल
2.	निरीक्षण का वर्ष	2013–14 से 2014–15
3.	लेखा परीक्षा की अवधि	01.03.2016 से 15.03.2016
4.	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण	(i) श्री रवि कुमार, स0ले0प0अ0 (ii) श्री नीरज कुमार, स0ले0प0अ0 (iii) श्री नीरज कुमार सिंह, व0ले0प0 (iv) श्री अरविन्द कुमार, ले.खापरीक्षक
5.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	कोई नहीं
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया?	हाँ, दिनांक 15.03.2016 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

7. **प्रशासन**

क्र0	महापौर का नाम	अवधि
1.	श्रीमति अर्चना कुमारी	26.05.2012 से 31.03.2015

क्र0	उपमहापौर का नाम	अवधि
1.	श्री रमेन्द्र कुमार रमण	26.05.2012 से 31.03.2015

क्र0	नगर आयुक्त	अवधि
1	श्री बृजेष कुमार, बि0 प्र0 से0	04.11.2011 से 17.08.2013
2	श्री सुशील कुमार मिश्र, बि0प्र0से0	17.08.2013 से 31.03.2015

8. दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय नगर परिषद, सुपौल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गई है तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय, महालेखाकार (ले.प.), बिहार, पटना का नहीं होगा।

9. लेखा परीक्षा का परिक्षेत्र

लेखा परीक्षा में नमूना जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –I एवं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर है।

10. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी

116

के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

अतः पूवर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के सभी बकाया कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार स्थानीय लेखा परीक्षक, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय को भेजा जाय।

11. सामान्य अभियुक्ति

अंकेक्षण के दौरान देखा गया कि वार्षिक लेखा, अनुदान पंजी, परिसंपत्ति पंजी, बंदोवस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे तथा रोकड़पाल रोकड़ बही में लेखा संधारण में त्रुटियॉ. पाई गई। यह भी देखा गया कि दुकान किराया का पुनरीक्षण, गृह कर, मोबाईल टावर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता है। नगर परिषद प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त अभिलेखों का संधारण करवाने के साथ– साथ दुकान किराया का पुनरीक्षण तथा मोबाईल टावर की बकाया किराया की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए। नगर परिषद कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुपालन में लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः नगर परिषद प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

12. लेखापरीक्षा का परिणाम

(i) अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– शून्य

(ii) वसूली हेतु सुझाई गई राशि–रू. 8306127.00

(iii) आपत्ति के अधीन रखी गई राशि–रू. 819782.00

(विस्तृत परिषिष्ट– VI पर)

13. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम– 82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से उक्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया गया। नगर परिषद कार्यालय नें उत्तर दिया कि वार्षिक लेखा के संधारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त "सरकार गुरूमूर्ति फर्म" कलकत्ता द्वारा तैयार किया जा रहा है। सरकार गुरूमूर्ति को वांछित कागजात उपलब्ध करा दिया गया है तथा कार्यालय द्वारा अपेक्षित सहयोग दिया जा रहा है। अतः वार्षिक लेखा का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

14. आय– व्यय विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 13(1) के अनुसार बैंक बही का संधारण लेखापाल को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–3 में करना है। जिसमें प्रत्येक बैंक खाते के लिए पन्नों की श्रृंखला जिसमें बैंक का विवरण तथा खाता संख्या नामित कर तैयार किया जाना है। बैंक बही में प्रत्येक बैंक या ट्रेजरी खातों में जमा एवं निकासी से संबंधित, चाहे नकद या चेक में लेनदेन की गई हो सारी प्रविष्टियॉ की जायेगी। इसके अतिरिक्त 13(5) में प्रावधान किया गया है कि बैंक या कोषागार के खातों में वास्तविक अंतशेष का मिलान समय–समय पर तथा कम से कम महीने में एक बार बैंक बही के साथ करनी है।

नगर परिषद कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापाल रोकड. बही एवं अन्य सहायक रोकड. बही के आधार पर आय व्यय विवरणी तैयार किया गया जिसे स्थानीय कार्यालय के द्वारा सत्यापित कर लेखा परीक्षा को लौटाया गया, निम्न है–

P L ACCOUNT				
2013-14			2014-15	
OB	157244932		OB	137611371
REC	45723431		REC	70094608
TOTAL	202968363		TOTAL	207705979
EXP	63742405		EXP	124357526
CB	139225958		CB	83348453
Remarks- CB of cashbook is reconciled with Treasury balance after that Treasury Balance is taken as OB of next year.				

Diff in CB of 2013-14 & OB of 2014-15 is 1614587.00

SJSRY				
2013-14			2014-15	
OB	7821133		OB	6048378
REC	184425		REC	0
TOTAL	8005558		TOTAL	6048378
EXP	1957180		EXP	6048378
CB	6048378		CB	0
			SBI ADB SUPAUL A/C- 11154750999 CB- Rs. 0	

114

BRGF				
2013-14			2014-15	
OB	13823365		OB	8792622
REC	4157218		REC	2466135
TOTAL	17980583		TOTAL	11258757
EXP	9202962		EXP	3864540
CB	8777621		CB	7394217
Uncashed Cheque	15001		Remarks-BOB SUPAUL A/C-46550100001188 CB-6159467	
CB	8792622		CBI SUPAUL A/C - 3223989022, CB-1234750	

13th FC (PL ACCOUNT)				
2013-14			2014-15	
OB	12669868		OB	7197106
REC	0		REC	768000
TOTAL	12669868		TOTAL	7965106
EXP	5472762		EXP	0
CB	7197106		CB	7965106

13th FC (SBI A/C- 11114401050)				
2013-14			2014-15	
OB	0		OB	2695422
REC	3317322		REC	126180
TOTAL	3317322		TOTAL	2821602
EXP	621900		EXP	1972602
CB	2695422		CB	849000

13th FC (SBI A/C- 32726113048)				
2013-14			2014-15	
OB	0		OB	2500000
REC	2500000		REC	6634737
TOTAL	2500000		TOTAL	9134737
EXP	0		EXP	5401090
CB	2500000		CB	3733647

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. पी.एल खाता के वर्ष 2013–14 के अंतशेष को कोषागार के शेष से समाधान विवरणी बनाया गया तथा वर्ष 2014–15 में कोषागार शेष को प्रारम्भिक शेष से शुरू किया गया था।

2. नगर परिषद कार्यालय द्वारा न तो बैंक बही का संधारण किया गया है तथा न ही रोकड़ बहियों के मासिक अथवा वार्षिक अंतशेष का संबंधित बैंक खाताओं के अंतशेष के साथ मिलान कर समाधान विवरणी तैयार किया गया है तथा साथ ही एक ही मद के लिए एक से अधिक बैंक खाता से संव्यवहार किया जा रहा था।

3. तेरहवीं वित्त आयोग मद को पी.एल.खाता के साथ दो अन्य बैंक खाता एस.बी.आई सं0. 1114401050 एवं 32726113048 संधारित किया गया था। कोई भी बैंक खाता लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. बी.आर.जी.एफ रोकड. बही के लिए दो बैंक खाता सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया सं0. 3223989022 एवं बैंक ऑफ इण्डिया सं0. 46550100001188 संधारित किया जा रहा था।

5. किसी भी रोकड़ बही का बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

6. प्रस्तुत रोकड़ बही व संलग्न किए गए इसके आय– व्यय विवरणी के अलावे अन्य रोकड़ बही यदि कोई हो तो तो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्ति उठाये जाने पर नगर परिषद कार्यालय ने उत्तर दिया कि (1) सरकार के निर्देश के आलोक में एस.बी.आई के आलावा अन्य बैंक में खाता खोलकर संधारण किया जा रहा है। (2) बी.आर.जी.एफ के एक खाता सी.बी.आई को बन्द कर दिया गया है। मात्र बैंक ऑफ बडौदा में एक ही खाता का संधारण किया जा रहा है। (3) बैंक पंजी संधारण है, लेकिन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

नगर परिषद कार्यालय के द्वारा सिर्फ बैंक खाता संबंधी अंकेक्षण आपत्तियों का जवाब दिया गया जो मान्य है परन्तु वित्तीय विवरणी व बैंक समाधान विवरणी के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया अतः मासिक व वार्षिक मदवार वित्तीय विवरणी व बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। पी.एल. खाता में वर्ष 2013–14 के अंतशेष से 2014–15 के प्रा.शेष में 1614587 कम दर्ज किया गया है। इसे सुधार करते हुए बैंक समाधान विवरणी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय भेजा जाए।

15 सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अन्दान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। लेकिन नगर परिषद सुपौल के द्वारा अनुदान पंजी संधारित नहीं किया गया था। इसके अभाव में सभी अनुदानों के संबंध में यह ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का प्रारंभिक शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों एवं लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय को वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी अनुदान ₹123375498.00 प्राप्त किया गया था।

(विवरणी परिशिष्ट III पर)

112

अनुदान पंजी के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया साथ ही, यह भी ज्ञात नहीं किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितने राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्ति उठाये जाने पर नगर परिषद कार्यालय ने उत्तर दिया कि सरकारी अनुदान पंजी के स्थान पर आवंटन पंजी एवं मदवार रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान व आवंटन पंजी का अलग– अलग संधारण होता है। अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय ताकि उक्त वांछित जानकारी प्राप्त हो सके।

भाग–।।

खण्ड– (क)– शुन्य

खण्ड– (ख)

कंडिका– 1 मार्केट कम्पलेक्स (दुकानों) का किराया पुनरीक्षण नहीं होने से राजस्व क्षति रू.1.55 लाख

नगर परिषद सुपौल के अंतर्गत मार्केट कम्पलेक्स की आवंटन संबंधी संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसके क्षेत्रान्तर्गत तीन मार्केट कम्पलेक्स थे जिसे दुकानों के मालिकों के साथ किये गए एकरारनामा व नोट शीट के अनुसार किशनपुर स्थित मार्केट के सभी दुकानों का किराया प्रत्येक तीन वर्षों, पिपरा रोड व मेन रोड का दो वर्षो में पुनरीक्षण/बढोतरी होना था परन्तु नगर परिषद के द्वारा आवंटन के समय के दर से ही सभी मार्केट कम्पलेक्स स्थित दुकानों का किराया वसूली की जा रही थी। इस प्रकार उक्त तीनों मार्केट कम्पलेक्सों के दुकानों का किराया पुनरीक्षण/बढोतरी नहीं किये जाने से नगर परिषद को मार्च, 2015 तक कुल रू. 01.55 लाख राजस्व की क्षति हुई, निम्न है–

क्र0 सं0	मार्केट कम्पलेक्स का नाम	किराया (मार्च, 15)
!	किशनपुर रोड	80676
2	पिपरा रोड	52208
3	मेन रोड	22200
योग		**155084**

(विस्तृत परिशिष्ट– IV पर)

लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि श्री नरेन्द्र प्र0 सिंह सह सैरात प्रभारी को सूचना देकर वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाऐगी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लगभग दस वर्ष बीत जाने के वाबजूद भीं अभी तक कार्यालय के द्वारा दुकानदार के द्वारा किए गए एकरारनामा के अनुसार दुकान किराया की बढोतरी हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

अतः उपर्युक्त वर्णित मार्केट कम्पलेक्स की दुकान किराया एकरारनामा के अनुसार बढोतरी नहीं किए जाने से नगर परिषद कार्यालय को हुई हानि रू. 155084.00 (मार्च 2015 तक) की वसूली/भरपाई इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

कंडिका– 2 संचार टावरों के पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि रू 18.10 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व में संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1)के अनुसार नगर परिषद पंजीकरण शुल्क के रूप में रू. 40000 प्रति टावर एवं रू. 10000 नवीकरण शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। नियमतः 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता हे तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर परिषद सुपौल के वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कुल 24 संचार मीनार नगर क्षेत्र मे अधिष्ठापित थे।

नगर परिषद सुपौल के द्वारा लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये आकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिनांक 31.03.2015 तक 24 अधिष्ठापित संचार मीनार की बकाया राशि रू.1810000 थी।

इन संचार मिनारों से बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज की वसूली भी की जाय। साथ ही अतिरिक्त एंटिना का सर्वे कराकर उस पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त लगाया जाए।

उक्त 24 संचार मीनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर नगर निकाय कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी का विस्तृत विवरणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कि लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हो सके कि नगर निकाय कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर नगर निकाय कार्यालय द्वारा वसूली की जा रही थी अथवा नहीं।

लेखा परीक्षा के द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित को सूचना देकर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप मोबाईल टावर की बकाया राशि रू. 1810000.00 की वसूली हेतु कार्रवाई की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका– 3 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण राजस्व हानि रू. 02.64 लाख

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाईं–लॉ के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

क्षेत्रफल	परमिट फीस (रू.)
एक हेक्टेयर तक	1500/–
एक हेक्टेयर एवं उससे ऊपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	3000/–
2.5 हेक्टेयर से ऊपर	5000/–

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जूलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निगम कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

लेकिन नगर परिषद कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की अवधि में स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया था। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये निबंधित आर्किटेक्ट से प्राप्त नक्शा व पारित पंजी में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्वीकृत नक्शा आवासीय था अथवा वाणिज्यिक। इसके कारण अंकेक्षण में डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा सकी। तथापि वर्ष 2013–14 में 118 एवं वर्ष 2014–15 में 58 नक्शे नगर परिषद कार्यालय एवं वास्तुविदों द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन न तो नगर परिषद कार्यालय द्वारा तथा न ही संबंधित निबंधित वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से लिया गया था। परिणामस्वरूप नगर परिषद कार्यालय को न्यूनतम प्रति नक्शा रू. 1500 के आधार पर वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में न्युनतम कुल रू. 264000.00 की हानि हुई, गणना निम्न है–

क0 सं0	वर्ष	पारित आवासों की सं0	न्यूनतम दर प्रति नक्शा	डेवलपमेंट परमिट फीस
1	2013–14	118	रू.1500/–	177000
2	2014–15	58		87000
कुल योग				**264000**

अंकेक्षण आपत्ति का नगर परिषद कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के द्वारा भवन उपविधि 2014 के पारित नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाई की जाएगी।

अतः उपर्युक्त वर्णित बिल्डिंग बाई लॉ व जवाब के अनुसार नगर परिषद कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 में डेवलपमेन्ट परमिट फीस वसूली नहीं किए जाने से कार्यालय को हुई राजस्व हानि रू. 264000.00 की वसूली संबंधित आवेदनकर्ताओं/व्यक्तियों की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका– 4 योजनाओं में विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं–रू. 04.06 लाख

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य का एकरारनामा फार्म एफ–2 (अनुसूची एक्स एल वी फॉर्म–61) में किया जाना चाहिए जिसमें संविदा के सामान्य नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 में विलम्ब से कार्य समाप्ति पर संवेदक के विपत्र से विलम्ब शुल्क 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन और अधिकतम प्राक्कलन का 10 प्रतिशत का प्रावधान है।

नगर परिषद के विभिन्न योजनाओं के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि संवेदकों से कार्यादेश के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के दिए गए समय से कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब किया गया। इसके बावजूद भी संबंधित संवेदकों से विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं की गई।

उपरोक्त सभी योजनाओं में फार्म एफ–2 के नियम एवं शर्तों के उपबंध 6 के अनुसार किसी भी योजना में कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र संचिका में संलग्न नहीं है, जोकि योजना के विधिवत् रूप से पूर्ण होने का प्रमाण होता है। अंतिम पूर्णता प्रमाण के पत्र के अभाव में मापी पुस्तिका में कार्यपालक अभियन्ता के हस्ताक्षर तिथि को योजना पूर्ण करने की तिथि मानी गयी है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर)

इस प्रकार एकरारनामा के निर्धारित प्रपत्र फार्म एफ–2 के नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 के अनुसार कार्य पूर्ण करने में हुए विलम्ब के लिए विलम्ब दण्ड के रूप में रू 405810.00 लाख की वसूली की जानी थी।

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि संलग्न पांचो योजना का एकरानामा एफ 2 फार्म पर किया हुआ है। संवेदकों द्वारा कार्य एकरारनामा के समय सीमा के अन्दर सम्पन्न किया गया है। कनीय अभियंता द्वारा भी मापी पुस्तक पर व विपत्र समय सीमा के अन्दर किया गया है। मात्र कनीय अभियंता ही नियमित कर्मचारी हैं। सहायक एवं कार्यपालक

1108

अभियंता प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हैं। इसलिए सहायक एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा उपरोक्त में से कई योजनाओं पर तकनीकी जांच विलम्ब से कर मापी पुस्तक वापस किए हैं तथा विलम्ब से भुगतान किया गया हैं। अंतिम विपत्र अनुसूची 45 फार्म सं0. 136 पीला फार्म पर तैयार किया गया है। पीला फार्म पर तैयार विपत्र अंतिम तथा कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र है तथा मापी पुस्तक पर कार्य पूर्ण का विवरणी है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार लोक निर्माण संहिता के फार्म एफ2 के नियम व शर्तों के उपबंध 6 के अनुसार किसी भी योजना में कार्यपालक अभियंता का पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए तथा अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र के अभाव में मापी पुस्तिका पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर तिथि को योजना पूर्ण होने के विधिवत तिथि मानी जाती है। परन्तु न तो कार्यपालक अभियंता का पूर्णता प्रमाण पत्र और न ही मापी पुस्तिका पर उनका हस्ताक्षर था। अतः इन विन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने तक विलम्ब दण्ड के रूप में नहीं की गई कटौती राशि रू. 405810.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 5 मैटेलिक (पोल माउनटेड) कूड़ादान के कय में अनियमितता

13वीं वित्त से मैटेलिक (पोल माउनटेड) कूड़ादान के कय संबंधी संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्यालय पत्रांक 972 दिनांक 22.11.13 के आलोक में निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग पटना द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई तथा इसके सूचना के आधार पर दिनांक 09.12.13 तक नगर परिषद कार्यालय में छः कम्पनियों/आपूर्तिकर्ता के द्वारा डाले गये निविदा में से सबसे कम मूल्य रू. 12800.00 वैट सहित (अर्थात कय मूल्य रू. 12190/– एवं 5 प्रतिशत वैट रू. 610/–) कृषि यंत्र केन्द्र पटना से कय हेतु चयन किया गया तथा कुल 305 कूड.ादान कय पर रू.12800/– प्रति कूड़ादान पर कुल रू. 3904000.00 का पूर्ण भुगतान किया गया, निम्न है–

क0सं.	चेक सं0/तिथि	राशि
1	632928/31.07.14	1415106
2	91943/10.09.14	1144894
3	91494/26.09.14	64000
4	913282/04.02.15	1280000
योग		3904000

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131(O) के अनुसार बिड सिक्युरिटी अथवा अग्रधन राशि के रूप जो वस्तु के प्राक्कलित राशि का 02 से 05 प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा जो अंतिम निविदा वैधता अवधि से 45 दिनों तक वैध रहेगा तथा 131(P) के अनुसार सफल निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता से परफर्मोस सिक्युरिटि जो संविदा मूल्य का 05 से 10 प्रतिशत होगा, प्राप्त किया जाना चाहिए जो कार्य पूर्ण (वारंटी वाध्यता के साथ) होने से 60 दिनों तक वैध माना जायेगा तथा बिड सिक्युरिटि को सफलतम बिडर से परफार्मेंस सिक्युरिटि के प्राप्ति पर लौटा दिया जायेगा। बिड व परफार्मेंस सिक्युरिटि प्राप्त करने का मुख्य उददेश्य है कि वारंटी अवधि तक व भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit किया जा सके परन्तु नगर परिषद के द्वारा इन नियमों के विरूद्व बिना बिड व परफार्मेंस सिक्युरिटि प्राप्ति

के उक्त कम्पनी से सामग्री का क्रय किया गया था। जिससे पता चलता है कि कार्यालय के द्वारा कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही किया गया एवं आपूर्तिकर्त्ता को अनावश्यक लाभ दिया गया।

2. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए। बिना फार्म C-III प्रमाण पत्र प्राप्त किए वैट का भुगतान नहीं करना चाहिए परन्तु नगर परिषद के द्वारा आपूर्तिकर्ता कृषि यंत्र केन्द्र, पटना को कुल 305 मैटेलिक (पोल माउण्टेड) क्रय के लिए बिना फार्म C-III प्रमाण पत्र प्राप्त किए वैट का अनियमित भुगतान रू. 186050.00 (5 प्रतिशत के दर से) सहित पूर्ण भुगतान रू. 3904000.00 किया गया था।

3. आयकर अधिनियम 1961 के नियमानुसार आपूर्तिकर्ता यदि क्रय एक लाख से उपर का हो तथा क्रय कम्पनी से किया गया हो, से आयकर (2 प्रतिशत) की कटौती कर के ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु नगर परिषद के द्वारा मैटेलिक (पोल माउनटेड) कूड़ादान क्रय पर आयकर कटौती रू. 74359.00 (क्रय मूल्य रू. 3717950.00 का 2 प्रतिशत) नहीं कर पूर्ण भुगतान किया गया था।

4. वारंटी कार्ड उपलब्ध नहीं था।

उपर्युक्त वर्णित लेखा परीक्षा आपत्तियों का नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि (1) आपूर्तिकर्ता द्वारा समय सीमा के अन्दर सामग्री का आपूर्ति किया गया तथा समयावधि अन्तराल के बाद भुगतान किया गया। निविदा सूचना में अग्रधन का प्रावधान नहीं था। (2) C-III फार्म जमा किया गया था तथा लेखा परीक्षक को दिखा दिया गया। (3) आयकर हेतु संबंधित को सूचना दिया गया है। इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। (4) वारंटी कार्ड लेखा परीक्षा को दिखाया गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि (1) क्रय के लिए उपर्युक्तवर्णित वित्त नियमों का पालन नहीं किया गया (2) लेखा परीक्षा को दिखाये व उपलब्ध कराये गये फार्म C-III प्रमाण पत्र क्रय किए गए 305 मैटेलिक (पोल माउनटेड) के लिए नहीं था बल्कि अन्य सामाग्री क्रय के लिए किए गए वैट भुगतान का था। जो कि 31.03.2014 तक ही वैध था। (3) एक लाख मूल्य के क्रय पर आयकर की कटौती करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः 305 मैटेलिक (पोल माउनटेड) क्रय पर किए गए वैट भुगतान व आयकर की कटौती नहीं की गई क्रमशः रू. 186050.00 व रू. 74359.00 को तदनुसार फार्म C-III प्रमाण पत्र व आयकर रिटर्न विपत्र प्राप्त किए जाने तक राशि रू. 260409.00 (186050+ 74359) को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 6 जे.सी.बी मशीन (बड़ा) मशीन का क्रय में अनियमितता

13वीं वित्त से जे.सी.बी मशीन (बड़ा) क्रय संबंधी संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्यालय पत्रांक 972 दिनांक 22.11.13 के आलोक में निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग पटना द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई तथा इसके सूचना के आधार पर दिनांक 09.12.13 तक नगर परिषद

1106

कार्यालय में तीन कम्पनियों के द्वारा निविदा डाला गया, जिसके कोटेशन मूल्य का तुलनात्मक विवरणी निम्न है–

क्र0सं.	कम्पनी का नाम	वैट सहित मूल्य
1	पाटलिपुत्र इक्विपमेंट प्राइवेट लि0 कम्पनी, पटना	2315000
2	इम्पेरियल एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, पटना	2490000
3	टाटा हिटैची, पटना	2285000

उपरोक्त तुलनात्मक विवरणी के अनुसार टाटा हिटैची, पटना का सबसे कम मूल्य रू. 2285000 था, परन्तु क्रय हेतु चयन पाटलिपुत्र इक्विपमेंट प्रा0लि0, पटना जिसका मूल्य (रू. 2315000.00) इससे अधिक था, का क्रय हेतु चयन किया गया तथा कार्यालय के द्वारा पाटलिपुत्र इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, पटना को आपूर्ति आदेश ज्ञापांक 125 दिनांक 07.02.14 निर्गत किया तथा चेक सं0. 632867 दिनांक 26.03.14 को भुगतान इस कम्पनी को किया गया।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (O) के अनुसार बिड सिक्युरिटी अथवा अग्रधन राशि के रूप जो वस्तु के प्राक्कलित राशि का 02 से 05 प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा जो अंतिम निविदा वैधता अवधि से 45 दिनों तक वैध रहेगा तथा 131(P) के अनुसार सफल निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता से परफर्मेंस सिक्युरिटि जो संविदा मूल्य का 05 से 10 प्रतिशत होगा, प्राप्त किया जाना चाहिए जो कार्य पूर्ण (वारंटी वाध्यता के साथ) होने से 60 दिनों तक वैध माना जायेगा तथा बिड सिक्युरिटि को सफलतम बिडर से परफार्मेंस सिक्युरिटि के प्राप्ति पर लौटा दिया जायेगा। बिड व परफार्मेंस सिक्युरिटि प्राप्त करने का मुख्य उददेश्य है कि वारंटी अवधि तक व भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके। परन्तु नगर परिषद के द्वारा इन नियमों के विरूद्व बिना बिड व परफार्मेंस सिक्युरिटि प्राप्ति के उक्त कम्पनी से सामग्री का क्रय किया गया था। जिससे पता चलता है कि कार्यालय के द्वारा कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही किया गया एवं आपूर्तिकर्त्ता को अनावश्यक लाभ दिया गया।

2. आयकर अधिनियम 1961 के नियमानुसार आपूर्तिकर्ता यदि क्रय एक लाख से उपर का हो तथा क्रय कम्पनी से किया गया हो, से आयकर (2 प्रतिशत) की कटौती कर के ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु नगर परिषद के द्वारा जे.सी.बी क्रय पर आयकर कटौती रू. 44095.00 (क्रय मूल्य 2204762 का 2 प्रतिशत) नहीं कर पूर्ण भुगतान किया गया था।

अतः उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब के दिया गया कि (1) आपूर्ति आदेश 125/07.02.14 को था। तदनुरूप 15.02.14 को आपूर्ति समय सीमा के अन्दर किया गया। तदोपरान्त 39 दिन के बाद भुगतान किया गया तथा वैट मो0110238.00 एक वर्ष तक रोका गया। अतः विपत्र से सुरक्षित जमा की कटौती नहीं की गई तथा (2) कम्पनी को इस हेतु सूचना दिया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि (1) क्रय के लिए उपर्युक्तवर्णित वित्त नियमों का पालन नहीं किया गया (2) एक लाख मूल्य के क्रय पर आयकर की कटौती करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाना

चाहिए था। अतः भविष्य में सामग्री क्रय के लिए उपर्युक्तवर्णित वित्त नियमों का पालन किया जाय तथा आयकर रिटर्न विपत्र उक्त आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किए जाने तक आयकर की कटौती नहीं किए गए रू. 44095.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 7 सैरातों के बन्दोवस्ती राशि का न0प0 खाता में जमा नहीं होने के कारण राजस्व क्षति–रू.0.27 लाख

वर्ष 2013–14 के विभिन्न सैरातों के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि सैरातों के बन्दोवस्तधारी से बन्दोवस्ती राशि में से कुछ राशि नगद विविध रसीद के द्वारा तथा कुछ राशि को बैंकर्स चेक से प्राप्त किया गया था। बैकर्स चेक से प्राप्त राशि की वैधता समाप्त या पुनर्जीवित नहीं होने के कारण बैंक में जमा नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप नगर परिषद क़ो रू. 26721.00 की राजस्व क्षति हुई निम्न प्रकार से है:–

क0 स0	सैरात का नाम	बन्दोवस्तधारी का नाम (सर्वश्री)	बैकर्स चेक से प्राप्त बन्दोवस्ती राशि		प्राप्तकर्ता
			चेक सं0 व तिथि	राशि	
1	खास महाल की जमीन	मनोज कुमार	000684 / 19.03.13 (एच.डी.एफ.सी)	1303	नरेन्द्र प्र0 सिंह, कर दारोगा
2	कचहरी स्थित मिठाई दुकान	संतोष कुमार सुमन	287865 / 18.03.13	12334	
			287861 / 18.03.13	12334	
3	मुक्तिधाम	षिव क0 मुखिया	डी.डी.402153 / 19.03.13	750	
कुल योग				**26721**	

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में श्री नरेन्द्र प्र0 सिंह तत्कालीन कर दारोगा सह सैरात प्रभारी को सूचना दिया गया है तथा राशि जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतः उपर्युक्त वर्णित सैरातों की बंदोवस्ती राशि की वैधता समाप्त हो जाने तथा पुनर्जीवित व न0प0 खाता में जमा नहीं किए जाने के कारण होने वाले राजस्व क्षति रू. 26721.00 को नगर परिषद खाते में जमा / भरपाई किए जाने तक इस राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका– 08 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय–रू.0.83 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न से 1–103 / 87–1231 / न वि वि0 दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दैनिक मजदूरी / कर्मचारी को कार्य पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है।

लेकिन नगर परिषद, सुपौल के बोलेरो चालक संबंधी संचिका व लेखापाल रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया कि उपर्युक्त वर्णित दिशानिर्देश के विरूद्व इस कार्यालय के द्वारा बोलेरो ड्राईवर श्री राधेश्याम कामत को वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक) में दैनिक मजूदरी रू. 213 / – व 223 / – प्रतिदिन के दर से रू. 82747.00 का अनियमित भुगतान किया गया था तथा तदनुपरान्त अनुबंधित बाहय स्त्रोत कंपनी एस्कार्ट से चालक उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया था। दैनिक मजदूरी पर भुगतान की विवरणी निम्न है–

1104

क0 सं0	अवधि	चेक सं0 / तिथि (पी.एन.बी खाता सं0. 2488000100127326)	राशि (रू.)
1	सितम्बर, 13 से मार्च, 14 (कुल 157 दिन)	106809 / 17.04.14	33441
2	अप्रैल, 14 से जुन 14 (कुल 74 दिन)	152063 / 18.07.14	16502
3	जुलाई, 14 से अगस्त, 14	152077 / 05.09.14	11564
4	सितम्बर, 14	152084 / 27.09.14	5664
5	अक्टूबर, 14 से दिसम्बर, 14	145008 / 06.01.15	15576
	कुल योग		**82747**

उपरोक्त के अलावा अभिश्रव लेखा परीक्षा में अभी तक अप्रस्तुत रहने के कारण दैनिक मजदूरीं पर भुगतान के बारे में सही वस्तु स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः सरकार के दिशानिर्देश के विरूद्व दैनिक मजदूरी पर उपर्युक्त वर्णित अप्राधिकृत व्यय रू. 82747.00 करने के कारण लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि नगर परिषद सुपौल में पहले चार चक्का छोटी गाड़ी नहीं थी बोर्ड के निर्णय के आलोक में बोलेरो गाड़ी का क्रय किया गया। बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती है। जब– जब गाड़ी चलायी गई तब– तब लॉगबुक के आधार पर ड्राइवर का भुगतान किया गया। दैनिक मजदूरी पर नियमित रूप से ड्राइवर नहीं रखा गया है। जवाब मान्य नहीं है। अतः सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्व उक्त व्यय रू. 82747 को सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने तक व्यय की गयी राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका– 09 गृह कर की बकाया वसूली नहीं– रू 27.51 लाख

नगर परिषद सुपौल के वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के अंकेक्षण के दौरान कार्यालय नगर परिषद सुपौल द्वारा गृह कर वसूली से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 तक कितने भवन अवस्थित थे तथा उसमें से कितने भवनों पर किस दर से करारोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त भवनों का वर्गीकरण यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के साथ वे किस सड़क यथा मुख्य सड़क, प्रधान सड़क, गली इत्यादि पर अवस्थित थे का विवरण तथा निर्माण के प्रकार के साथ कुल भवनों की संख्या का विवरण ज्ञात नहीं हो सका।

नगर परिषद सुपौल के द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये आकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 31.03.2015 तक गृह कर के रूप में बकाया राशि रू 27.51 लाख थी।

मॉग एवं वसूली की विवरणी							
	मॉग			वसूली			
वर्ष	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया
2013–14	37.56	18.42	55.98	17.79	7.53	25.32	**30.66**
2014–15	30.66	18.74	49.40	13.94	7.95	21.89	**27.51**

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि उक्त बकाया राशि रू. 27.51 लाख की वसूली के लिए कौन सा आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए गये। नगर परिषद कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि संबंधित होल्डिंग धारक को सूचना देकर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 10 सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं–रू 31.06 लाख

कार्यालय नगर परिषद सुपौल द्वारा सरकारी भवन से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक नगर निकाय क्षेत्र में कितने सरकारी भवन अवस्थित थे तथा उसमें से कितने भवनों पर किस दर से करारोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त भवनों का वर्गीकरण यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के साथ वे किस सड़क यथा मुख्य सड़क, प्रधान सड़क, गली इत्यादि पर अवस्थित थे का विवरण तथा निर्माण के प्रकार के साथ कुल भवनों की संख्या का विवरण ज्ञात नहीं हो सका।

नगर परिषद सुपौल के द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये आकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकारी भवनों पर 31.03.2015 तक राशि रू. 3106493.00 सरकारी भवन कर के रुप मे बकाया थी।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि उक्त बकाया राशि रू. 3106493.00 की वसूली के लिए कौन सा आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए गये। नगर परिषद कार्यालय द्वारा जबाव में कहा गया कि संबंधित विभाग को सूचना देकर वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। अलग से मांग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं है। अतः सरकारी भवन के लिए अलग से मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाय तथा बकाया किराया की वसूली हेतु जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 11 नगर परिषद के दुकानों पर बकाया किराया– रू 2.19 लाख

नगर परिषद सुपौल के वित्तिय वर्ष 2013–14 से 2014–15 के अंकेक्षण के दौरान कार्यालय नगर परिषद, सुपौल द्वारा दुकानों से संबंधित मॉग एवं संग्रहण पंजी के नमूना जॉच एवं उपलब्ध कराए गये बकाया प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न दुकानदारों के पास 31.03.2015 तक रू 219550 बकाया था।

वर्ष	बकाया मॉग	चालू मॉग	कुल मॉग	कुल वसूली	शेष बकाया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2013–14	176892	106096	282988	113957	169031
2014–15	169031	106096	275127	55577	**219550**

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि उक्त बकाया राशि रू. 219550.00 की वसूली के लिए कौन सा आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए गये। नगर परिषद कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि राशि वसूली हेतु संबंधित दुकानदारों को सूचना देकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

102

कंडिका– 12 नगर परिषद द्वारा सेवा कर की वसूली नही–रू 0.20954

भारत सरकार द्वारा जुलाई 1994 में वित्त अधिनियम, 1994 के माध्यम से चुनिंदा सेवाओं के लिए सेवा कर लागू किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न सेवा प्रदाताओं को सेवा कर का भुगतान करना है। इस अधिनियम की धारा 65 बी एवं 66 ई के अनुसार किराया पर लगाये जाने वाले अचल संपतियों अथवा इस तरह के किराये के उपयोग में किये जाने वाले अन्य सेवाओं अथवा इनके वाणिज्यिक उपयोग पर सेवा कर अधिरोपित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 75 तथा 76 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर निर्धारित अवधि में सेवा कर की वसूली नहीं की जाती है तो प्रतिशत इस पर सूद देय होगा।

नगर परिषद सुपौल के द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 में निगम के दुकानों से कुल रू0 169539 किराया मद में प्राप्त हुआ है। किराया वसूली के लिए इन दुकानों को निर्गत किये रसीदों की जॉच में पाया गंया कि इनसे सेवा कर की वसूली नहीं की गयी है तथा न ही निकाय कार्यालय द्वारा प्राप्त किये गये किराया राशि पर केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग को रू0 20954 (रू0 169539 का 12.36 प्रतिशत) सेवा कर का भुगतान किया गया है।

वर्ष	बकाया मॉग	चालू मॉग	कुल मॉग	कुल वसूली	**सेवा कर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2013–14	176892	106096	282988	113957	14085
2014–15	169031	106096	275127	55577	6869
कुल				**169539**	**20954**

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि उक्त सेवा कर राशि रू. 20954.00 की वसूली के लिए कौन सा आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए गये। नगर परिषद कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि दुकान किराया वसूली पर सेवाकर जमा करने हेतु निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्देश व बोर्ड से सहमति प्राप्त कर भविष्य में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप व नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

भाग–III (TAN)
(नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी)

टिप्पणी– 1 परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनेयम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि–

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

नगर परिषद, सुपौल के द्वारा परिसम्पत्ति पंजी को अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय नगर परिषद ने उत्तर दिया कि परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया हुआ है। पंजी तैयार करने हेतु जिम्मेवारी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त सरकार गुरूमूर्ति फर्म को दिया गया है। सरकार गुरूमूर्ति के स्टॉफ अभी नहीं है। उनके द्वारा कम्प्यूटर पर इन्द्रराज किया जा रहा है। जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर परिसम्पत्ति पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय ताकि यह पता चल सके कि परिसम्पत्तियॉ से नगर परिषद को कितनी आय प्राप्त हो रही है।

टिप्पणी– 2 आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार या नगर निगम प्रतिदिन के लेखाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था उस रीति से करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

नगर परिषद सुपौल के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 में नगर निकाय कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण निकाय के प्राप्तियों तथा व्ययों में कई गंभीर अनियमितायें पायी गयी जिसका उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय नगर परिषद ने उत्तर दिया कि आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग पटना द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

टिप्पणी– 3 शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस की राशि विभागों को हस्तांतरित नहीं किया जाना

नगर परिषद कार्यालय द्वारा होल्डिंग कर की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के कंडिका (8) के अनुसार नहीं किया गया था। इन सभी करों को मिलाकर कर एच0 फार्म से 21.5 प्रतिशत के दर से वसूली की गयी थी, जबकि न्यूनतम 9 प्रतिशत के दर होल्डिंग कर मान्य है।

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस के रूप वित्तिय वर्ष 2010–11 से 2014–15 में वसूली की गयी राशि रू. 3977000.00 थी।

वर्ष	शिक्षा सेस	स्वास्थ्य सेस		अभियुक्ति
2010–11	189000	190000		वर्ष 2010–11 के पूर्व में वसूली की गयी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि उपलब्ध नहीं कराया गया।
2011–12	491000	510000		
2012–13	347000	345000		
2013–14	503000	502000		
2014–15	450000	450000		
कुल	1980000	1997000	**3977000**	

100

इन राशियों का स्थानांतरण नगर निकाय द्वारा संबंधित विभागों को करनी थी। लेकिन नगर परिषद कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 तक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस मद में वसूली गयी राशि संबंधित विभागों को स्थानांतरित नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में उठाये गये आपत्ति पर कार्यालय नगर परिषद द्वारा उत्तर दियां कि पूर्व के निर्धारण के आधार पर 21.5 प्रतिशत की दर से वसूली की जा रही है। 09 प्रतिशत होल्डिंग कर वसूली हेतु बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की गई थी। परन्तु कोषागार में जमा करने हेतु सरकार से निर्देश प्राप्त किया जा रहा है। विभाग द्वारा रोक लगा दिए जाने से पूर्ववत वसूली हो रही है। यह राशि कोषागार के पी.एल. खाता में जमा है। जवाब मान्य नहीं है। अतः सरकार के दिशा निर्देशानुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस की राशि संबंधित विभागों को प्रेषित की जाय।

टिप्पणी– 4 विविध/होल्डिंग रसीद अप्रस्तुत

नगर परिषद सुपौल की विविध/होल्डिंग रसीदों व इसके भण्डार पंजी के जांच में पाया गया कि कुछ विविध/होल्डिंग रसीद जो वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के पूर्व के वर्षों में निर्गत था, को भण्डार पंजी के अनुसार संबंधित वर्ष में जांच किया गया था या नहीं पता नही लगाया जा सका तथा कुछ रसीद जो वर्ष 2013–14 का निर्गत था, को भी इस लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, निम्न है–

रसीद सं0	निर्गत तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम
2001–2100	22.04.06	बैधनाथ सिंह
4501–4600	18.08.06	नरेन्द्र प्र0 सिंह
4601–4700	11.09.06	
3301–3400	02.04.05	किशुनदेव कामत
3401–3500	02.04.05	मु0 मुस्तफा
301–400	06.09.02	कमल प्र0 मंडल
401–500	07.09.02	अलम देव प्र0 सिंह
8101–8200	12.09.09	किशोर कुमार
11301–11400	26.02.14	नरेन्द्र प्र0 सिंह, सेवानिवृत कर दारोगा

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय नगर परिषद ने उत्तर दिया कि संबंधित कर्मी को रसीद लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है, रसीद बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

टिप्पणी– 5 लेखा संधारण में त्रुटियां

वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 तक लेखा परीक्षा के क्रम में लेखाओं के संधारण निम्न त्रटियां पाई गई–

(क) रोकड़पाल रोकड़ बही से लेखापाल रोकड़ बही के साथ मिलान में पाया गया कि रोकड़पाल रोकड़ बही का तीन इन्द्राज को छोड़कर अन्य राशि का इन्द्रराज लेखापाल रोकड़ बही में नहीं पाया

जबकि रोकड़ पाल रोकड़ बही के सभी राशि का इन्द्राज करने के बाद इसके सभी राशि को लेखापाल रोकड़ बही में इन्द्राज होना चाहिए था।

(ख) रोकड़ पाल द्वारा संधारित चालान पंजी एवं इनके द्वारा संधारित रोकड़ बही के मिलान में पाया गया कि कुछ राशि का इन्द्राज बैंक पासबुक में था परंतु रोकड़ बही में नहीं पाया गया। जबकि बैंक से किए गए आय– व्यय से संबंधित चालान पंजी के सभी राशि का इन्द्राज इनके रोकड़ बही में होना चाहिए था।

लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि वर्णित राशि की प्रविष्टि बैंक पासबुक एवं लेखापाल रोकड़ बही में दर्ज है जिसे लेखा परीक्षा में दिखाया गया। चूँकि राशि रोकड़ पाल को नगद जमा नहीं किया गया था। इसलिए रोकड़ पाल पंजी में दर्ज नहीं है। रोकड़ पंजी में दर्ज कराने हेतु रोकड़ पाल श्री किसुनदेव कामत को सूचना देकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

–हस्ता0–
(नीरज कुमार)
स0ले0प0अ0
अनुमोदित
उपमहालेखाकार ––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना

परिशिष्ट--1

(प्रतिवेदन के भाग--1 के कंडिका संख्या--9 से संदर्भित)

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व जॉच किये गये अभिलेखों की सूची:--

1. रोकड़ बहियॉ (12वी वित्त/तेरहवीं वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पिछडा क्षेत्र अनुदान, कोषागार रोकड़ बही आदि)

2 योजना अभिलेख (उपरोक्त) अंषतः

4 बैंक पास बुक (आंषिक) एवं कोषागार पासबुक

5 होल्डिंग/ विविध रसीद बुक एवं संबंधित दैनिक संग्रह पंजी

6 मांग एवं वसूली पंजी (आंषिक)

7 सैरात अभिलेख

8 अनुदान पंजी, योजना पंजी

9 बकाया दुकानों की देवरणी

10 मार्केट कम्पलेक्स से संबंधित संचिका

11. नक्षा पारित पंजी

11 मोबाईल टावर से संबंधित अभिलेख (आंषिक)

12. क्रय से संबंधित संचिका (आंषिक)

Suraj Kumar
2020

परिशिष्ट–II

(प्रतिवेदन के भाग–1 के कंडिका संख्या– 9 से संदर्भित)

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः–

1 पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

2 अनुदान पंजी व अनुदान विनियोग पंजी

3 ऋण पंजी व ऋण विनियोग पंजी

4 संपत्ति पंजी, सैरात पंजी

5 बजट

6 वार्षिक लेखा

7 वाद पंजी

8 क्रय भंडार पंजी

9 भविष्य निधि खाता एवं लेजर

10 चोरी, गबन एवं दुर्विनियोजन से संबंधित संचिका/अभिलेख

13 गाड़ी का लॉग बुक एवं इतिहास पंजी

14 आर. टी. आई./ शिकायत से संबंधित संचिका/अभिलेख

15 सेवा पुस्तिका

Suraj Kumar
DAO

परिशिष्ट-III

(कंडिका 15 भाग-I से संदर्भित)

क्रमांक	न.वि. एवं आ. विभाग, पटना पत्रांक / तिथि	रोकड़ बही तिथि	राशि (रु में)	मद
1.	11/7.5.13	01.10.13	457050	नगर कार्यपालक पदा. का वेतन मद
2.	— 15.05.13	01.10.13	240000	नगर प्रबंधक के मानदेय हेतु
3.	17/30.04.13	25.10.13	133200	निर्वाचित पार्षदों के भत्ता हेतु
4.	42/26.09.13	25.10.13	1034306	पेशाकर
5.	107/20.2.14	04.03.14	3100000	नागरिक सुविधा मद
6.	111/28.02.14	04.03.14	5000000	पथ निर्माण जीर्णोद्धार हेतु मद
7.	111/28.02.14	04.03.14	3000000	" " " " "
8.	106/28.02.14	04.03.14	4000000	सामान्य मद जलापूर्ति-1950000 एस.डी.एम.पी.-20,50000
9.	134/15.03.14	"	20981363	– वेतन/पेंशन, असंबद्ध अनुदान, नागरिक सुविधा हेतु
10.	09/04.06.14	19.06.14	547980	कार्यालय पदा. के वेतन हेतु
11.	08/25.09.14	19.06.14	240000	नगर प्रबंधक के वेतन "
12.	46/19.09.14	06.11.14	20900000	नागरिक सुविधा मद
13.	16&26/24.07.14	17.11.14	133200	मुख्य पार्षद / उप मु. पार्षद के भत्ता हेतु
14.	51&60/26.09.14	17.11.14	266400	मु./उ.मु. पार्षदों के भत्ता
15.	69&79/19.11.14	22.11.14	20000000	नागरिक सुविधा मद
16.	114&98/09.01.15	15.01.15	200000	ई. गवर्नेंस हेतु
17.	113&135/14.02.15	09.03.15	1000000	नागरिक सुविधा मद
18.	114&136/14.02.15	09.03.15	360000	ई. गवर्नेंस मद
19.	07&14/16.06.14	14.03.15	1293056	पेशाकार मद हेतु
20.	129&159/20.03.15	21.03.15	12795836	4th F.C मद
21.	133&164/25.03.15	25.03.15	12795836	4th FC अन्तर्गत 2nd किश्त
22.	मु. कार्य. पदा. सह उप वि. आयुक्त	20.01.14	3707516	BRGF
23.	— —	—	98047	"
24.	— –	24.03.15	2234846	BRGF
			11,36,18,636	

195

Bt-113618636

क्रम. सं.	पत्रांक/तिथि	रोकड़ बही तिथि	राशि (₹ में)	मद
25.	12427/19.07.13	02.08.13	3317322	13 वीं वित्त मद
26.	72498/25.02.14	28.04.14	3381716	"
27.	27437/12.08.14	13.10.14	3257824	"
28.				
			123375498	

Niraj K. Singh.
Sr. Adm.